



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-137

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 271281 दिनांक 11/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Pramila Devi Meena W/o Ghanshyam Lal Meena	श्री धन श्याम लाल मीना पुत्र श्री राम नारायण मीणा	98	272.22 SQ. YARD	Private	SHIV NAGAR -III Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी योजना शिव नगर-तृतीय रामनगरिया के भूखण्ड संख्या 98 क्षेत्रफल 272.22 व.ग. की लीज डीड श्री घनश्याम लाल मीना पुत्र श्री राम नारायण मीणा के पक्ष में दिनांक 03.07.2008 को जारी किया गया है। श्री घनश्याम लाल की मृत्यु दिनांक 24.04.2021 को हो चुकी है, श्रीमती हेमलता मीणा पुत्री स्व. श्री घनश्याम लाल मीना, श्री रविकान्त मीणा पुत्र स्व. श्री घनश्याम लाल , श्रीमती नीतू मीना पुत्री स्व. श्री घनश्याम लाल मीना, सुश्री प्रियंका मीना पुत्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

स्व. श्री घनश्याम
लाल मीना एवं श्री
ललित मीना पुत्र
स्व. श्री धनश्याम
लाल मीना द्वारा
श्रीमती प्रमिला
देवी मीना पत्नी
स्व. श्री धनश्याम
लाल मीना के पक्ष
में रजिस्टर्ड हक
त्याग पत्र दिनांक
09.12.2025 को
निष्पादित किया
गया है, सजरा
शपथ आदि
प्रस्तुत किये गये
हैं।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Pramila Devi Meena W/o Ghanshyam Lal Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |